फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमा (मु0माल) मु0न0 96 सन 2013

कुलदीप बनाम पृथ्वीराज

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

30.6.15

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। दिनांक 15/6/15 को उभय पक्षों की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर आधारित थी। उन्होनें अपनी बहस मं तर्क दिया कि प्रार्थीगण की प्रथम द्रष्टया प्रकरण बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है। अप्रार्थीगण भूमि का रहन–बैय व अन्य तरीक से बेचान कर देता हैं तो उसे ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः पूर्व में दिनांक 17/5/13 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थीगण के कवील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण का प्रथम द्रष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना ही अप्रार्थीगण के पक्ष में है। ना ही प्रार्थीगण को कोई अपूरर्णीय क्षति हो रही हैं इसलिए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें।

हमने दोनों पक्षों द्वारा समायत बहस पर मनन किया एंव प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रथम द्रष्टया प्रकरण बनता हैं ओर भूमि पर कब्जा होने से सुविधा सन्तुलन उनके पक्ष में हैं। अगर भूमि का बेचान कर दिया जाता हैं तो उसे अपूरर्णीय क्षति भी कारित होती है। अतः पूर्व में आदेश दिनांक 17/5/13 से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(केलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर